।। कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ।।

E-mail ID-pgrcgarhwal@gmail.com/phone/Fax-01368-221840

संख्या 1281 /13–दै0आ0/2017–18 दिनांक पौडी, 09, फरवरी, 2018

।। विज्ञप्ति ।।

शा0सं0–1029/XVIII-(2)/10-3(1)/2010(F) दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के द्वारा जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के संचालन हेतु 01 (एक) जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी का पद सृजित किया गया है। उक्त पद पर शासनादेशों में दिये गये प्रतिबन्धों के तहत संविदा पर साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से निम्नवत् आवदेन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं।

(1) आवेदन पत्र दिनांक 28.02.2018 सांय 5:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। नियत तिथि/समय उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

क्र0सं0	पद का नाम	नियत मानदेय	नियुक्ति का प्रकार	संविदा अवधि
1	2	3	4	5
1	जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	40000.00 रू0	पूर्णतया संविदा	01 वर्ष

(2) प्रथमतः संविदा हेतु एक वर्ष का अनुबन्ध किया जायेगा, संतोषजनक सेवा होने पर संविदा अवधि आगे 1 वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकती है। संविदा अवधि किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

वांछनीय योग्यता

(1) आपदा प्रबन्धन अधिकारी के पद हेतु अभ्यर्थी का स्नातक होना आवश्यक है।

(2) अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी 2018 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(3) जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी पद हेतु आवेदक को हिन्दी एंव अंग्रेजी के दोनों भाषाओं में कम्प्यूटर टंकण की जानकारी हो। MS Office, Web based Application एवं Website base Internet उपयोग का समुचित ज्ञान हो।

(4) स्थानीय भाषा का ज्ञान, संस्कृति, प्रशासनिक प्रणाली, शासकीय संगठन आदि की समुचित जानकारी हो।

(5) अन्य वांछनीय योग्यतायें समान रहने पर उत्तराखण्ड के स्थायी निवास के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(6) आवेदक को शपथ पत्र में यह लिखित देना होगा, कि वह किसी आपराधिक प्रकरण/घोर अनुशासनहीनता/दुर्व्यवहार में लिप्त न हो।

(7) आवेदक को आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित क्षेत्र में 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

अधिमानी आहार्यता

(i) आपदा प्रबन्धन में डिप्लोमा/डिग्री धारक अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(2) जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी के पद पर UNDP साहयतित आपदा जोखिम प्रबन्धन परियोजना के अन्तर्गत जिला परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके पूर्व जिला परियोजना अधिकारी द्वारा यदि आवेदन किया जाता है, तो उसे आन्तरिक समायोजन मानते हुये संविदा के आधार पर नियुक्ति में वरीयता दी जायेगी।

(3) पर्यावरण प्रबन्धन अथवा रिमोट सेंसिंग आधारित भू–गर्भीय विषय में स्नातकोत्तर डिग्री धारक को भी वरीयता दी जायेगी।

कर्तव्य

जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र का कार्य एंव आई0आर0एस0 सिस्टम के संचालन का समन्वयन किया जायेगा, इसके अतिरिक्त आपदा कार्य दलों, राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण, आपदा प्रबन्धन अभिलेखों व दस्तावेजों का संकलन आपदा सम्बन्धी सूचनाओं का आदान--प्रदान, आपदा उपरान्त राहत कार्यों का सम्पादन, आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में कार्यरत् विभिन्न एजेन्सियों यथा जिला/पुलिस प्रशासन, सैन्य सेवायें, अर्द्ध सैनिक बल, स्वयं सेवी संस्थाओं आदि संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना व जिला/तहसील/विकास खण्ड/ग्राम स्तर पर आपदा राहत बचाव से सम्बन्धित संगठनों के साथ समन्वय व संचालन, आपदा राहत सामग्री की आपूर्ति एवं रख–रखाव, आपदा राहत सामग्री की आपूर्ति एवं रख–रखाव, आपदा के दौरान संचार साधनों का संचालन व ज्ञान तथा समय–समय पर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप आपदा/अन्य आवश्यक कार्यों को सम्पादित किया जायेगा तथा दैनिक व नियमित तौर पर सूचना तैयार करना एवं विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रेषित् एवं प्रसारित करना एवं विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करना।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी गढ़वाल।

प्रतिलिपि :–

1 :– जिला सूचना अधिकारी पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि उक्त विज्ञप्ति को 02 प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में राजकीय दरों पर प्रकाशित करवाते हुये सत्यापित बीजक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2 :– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित् कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की वेबसाईट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी गढ़वाल।